बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,
खाद्य भवन,दरोगा प्रसाद राय,पथ, आर0ब्लॉक,रोड नं0–2–पटना ।

पत्र संख्याः–02:15:01(अधि0)/2016– 10169 दिनांक– 4/10/17

प्रेषक,

प्रमुख अधिप्राप्ति,
मुख्यालय,पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबन्धक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषयः– **खरीफ विपणन मौसम 2017–18 में बिकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत धान अधिप्राप्ति हेतु आवश्यक अग्रिम तैयारी करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयं के सम्बन्ध में कहना है कि गत वर्षो की भॉति खरीफ विपणन वर्ष 2017–18 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना (DCP) अन्तर्गत अधिप्राप्ति का कार्य किया जाना है। अधिप्राप्ति का कार्य ससमय एवं सुगमतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु आवश्यक है कि निम्न बिन्दुओं पर अग्रिम तैयारी कर ली जाय।

1.सी0एम0आर0 गोदाम की व्यवस्थाः–

अधिप्राप्ति वर्ष 2016–17 की भॉति इस वर्ष भी सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्य SFC द्वारा निर्धारित CMR गोदाम पर किया जायगा। विगत वर्षो में CMR गोदाम का रख–रखाव, CMR प्राप्ति में शिथिलता एवं यथापेक्षित पर्यवेक्षण के अभाव के कारण विभिन्न गोदामों में क्षति/अन्य अनियमितताएँ प्रकाश में आई जिस कारण निगम को भारी क्षति उठानी पड़ी। निम्न मानकों को दृष्टिगत रखते हुए CMR संग्रहण केन्द्रों का निर्धारण करना सुनिश्चित की जाय।

i) सर्वप्रथम CMR गोदाम हेतु जिलान्तर्गत अवस्थित SFC गोदाम/एस0 डब्लू0 सी0 गोदाम/सी0डब्लू0सी0गोदाम/FCI गोदाम को अनुमंडलवार चिन्हित की जाय।

ii) जिला टॉस्क फोर्स के अनुमोदन के पश्चात् प्रत्येक CMR गोदाम को अधिसूचित किया जायगा तथा इसकी Online पंजीकरण/नवीकरण 4G के Data पर Location के साथ (latitude/ longitude) के साथ किया जायगा।

iii) प्रत्येक CMR गोदाम भंडारण के दृष्टिकोण से स्वयं में स्वतंत्र होगा। संबंधित प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा गोदामवार भंडार पंजी/निर्गत पंजी/आगत पंजी एवं अन्य अभिलेख वगैरह का संधारण अलग–अलग किया जायगा एवं तदनुसार 4G Data Oprator द्वारा गोदामवार Online प्रविष्टी किया जायगा एवं समेकित भंडारण का संधारण CMR संग्रहण केन्द्रवार किया जायेगा।

उदाहरणस्वरूप नामाकरण निम्न प्रकार होगाः–

गोदाम नं0–1, बाजार समिति, प्रागंण, बक्सर (5000मे0टन), गोदाम नं0–2(बाजार समिति प्रागंण (विस्कोमान 3600एम0टी0), गोदाम नं0–3, प्रखंड परिसर, डुमरॉव (500एम0टी0) एवं पुनः सभी को समेकित कर एक पंजी CMR संग्रहण केन्द्रवार संधारण किया जायेगा।

iv) वैसे जिला, जहॉ सरकारी गोदाम यथा–SFC/SWC/CWC/FCI /Biscomaun उपलब्ध नहीं है, अथवा आवश्यकता से कम गोदाम उपलब्ध है,उन जिलों में निम्न शर्त्तो के अधीन निजी गोदाम विधिवत् एकरारनामा के साथ आवश्यक कार्यावधि के लिए किराया पर लिया जा सकता है।

(क) सम्बन्धित गोदाम पर पूर्व में क्षति/गबन आदि की धटना नही घटी हो।

(ख) गोदाम की मानक भण्डारण क्षमता न्यूनतम 1000 एम0टी हो।

(ग) गोदाम कार्यरत मिल परिसर में अवस्थित न हो एवं पैक्स एवं व्यापार मंडल के गोदाम भी नहीं लिया जायेगा।

(घ) वैसे मिल परिसर, जिसमें मिलिंग अथवा चावल कय एवं भंडारण से संबंधित अन्य किया–कलाप संचालित नहीं हो,

गोदाम लिया जा सकता है।

(ड.) गोदाम का स्वतंत्र अस्तित्व हो, जिसे आवश्यकतानुसार विधिवत Lock & Key किया जा सकता है।

(च) सुरक्षा के दृष्टिकोण से गोदाम सही जगह पर अवस्थित हो।

(छ) दीवाल/गोदाम का फर्श पक्का हो, बिजली की समुचित व्यवस्था हो एवं पहुँच पथ बारहमासी हो। किसी भी परिस्थिति में कार्यरत् मिल में CMR क्रय केन्द्र नहीं बनाया जायेगा एवं CMR संग्रहण केन्द्र का निर्धारण मुख्य सचिव, बिहार के स्तर से निर्गत कार्य–योजना के अनुरूप ही होगा।

v) जिला स्तर पर गत वर्ष के लक्ष्य के विरूद्ध कम से कम 33% (1/3 भाग) CMR के भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय, जिसे चकानुकम में CMR की पूरी मात्रा को प्राप्त करने में कठिनाई न हो।

vi) प्रत्येक गोदाम पर नमी मापक यंत्र एवं माप–तौल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। इसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी जिला प्रबंधक की होगी। यदि नमी मापक यंत्र खराब हो, तो इसे Calebrection करा लिया जाय।

2. <u>पंजी का संधारणः–</u>

i) अधिसूचित सभी CMR गोदामों पर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये भंडार पंजी/आगत पंजी/निर्गत पंजी का ही संधारणं किया जायगा। सभी पंजियॉ पृष्ठ प्रमाणीकरण के पश्चात् ही CMR प्रभारी को उपलब्ध कराया जायगा। निगम द्वारा आपूरित पंजियों के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में अन्य स्थानीय पंजी का उपयोग नहीं किया जायगा।

ii) प्रत्येक प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक विगत माह का भंडार /आगत/निर्गत पंजी का छिद्रदार प्रति (Perforated Sheet) अनिवार्य रूप से जिला कार्यालय में उपलब्ध कराया जाय जिसकी ससमय जॉच लेखापाल/लेखा पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायगी और 10वीं तारीख तक मुख्यालय को मासिक CMR की विवरणी विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायगा।

3. <u>गुणवत्ता नियंत्रक :–</u>

जिला पदाधिकारी से जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार (कम से कम दो गुणवत्ता नियंत्रक की प्रतिनियुक्ति हेतु) पर्यवेक्षीय सम्वर्ग के कर्मी की सूची प्राप्त कर उपलब्ध कराई जाय ताकि उन्हें गुणवत्ता नियंत्रक की समुचित प्रशिक्षण दिया जा सके। जिला में उपलब्ध प्रशिक्षित गुणवत्ता नियंत्रक की सूची भी उपलब्ध कराने की कृपया व्यवस्था की जाय।

4. <u>कार्मिकों का प्रबंधनः–</u>

जिला में वर्तमान में कार्यरत CMR गोदाम प्रभारी का आंकलन कर आवश्यकता के अनुसार कर्मियों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध करायी जाय, जिससे समुचित प्रशिक्षण दिया जा सके।

5. <u>मिलरों का पंजीकरण/नवीकरण :–</u>

गत वर्ष की भॉति इस वर्ष भी सभी ऑनलाईन पंजीकृत, योग्य एवं स्वच्छ मिलरों (गैर प्रमादी) द्वारा ही धान मिलिंग का कार्य किया जायगा। इसके लिए आवश्यक है कि वैसे सभी मिलर,जो पूर्व में पंजीकृत है,का पुनः नवीकरण दिनांक 31.10.2017 तक करा लिया जाय। मिल के नवीकरण के लिए सभी वांछित कागजातों के साथ नवीकरण शुल्क के रूप में 5000/–रू0,जो **"Non- Refundable"** होगा और **"Bihar State Food & Civil supplies Corporation Ltd. Patna"** के पक्ष में देय होगा, के साथ जिला प्रबंधक को नवीकरण हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

वैसे मिलर जिनका पूर्व में पंजीकरण नहीं हुआ है, को भी निर्धारित शुल्क 5000/– रू0,जो **"Bihar State Food & Civil supplies Corporation Ltd. Patna"** के पक्ष में देय होगा,के बैंक ड्राफ्ट के साथ अन्य सभी वांछित कागजात के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन जिला प्रबंधक के कार्यालय में जमा किया जायेगा। प्राथमिकी दर्ज मिलर, प्रमादी मिलर, अकार्यरत् एवं फर्जी मिल, प्रमादी मिल परिसर के नाम/प्रोपराईटरशीप बदलकर मिल का निबंधन/नवीकरण नहीं किया जायेगा।

जिला प्रबंधक IT Manager, 4G के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगें कि ससमय मिल का नवीकरण/पंजीकरण हो जाय।

अनुरोध है कि उपयुक्त बिन्दुओं पर त्वरित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–विहित प्रपत्र।

विश्वासभाजन,

प्रमुख अधिप्राप्ति

ज्ञापांकः–02:15:01(अधि0)/2016– 10169 दिनांक– 4/10/17

प्रतिलिपिः–सभी प्रमुख/उप प्रमुख/विशेष कार्य पदाधिकारी निगम मुख्यालय पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रमुख अधिप्राप्ति।

ज्ञापांकः–02:15:01(अधि0)/2016– 10169 दिनांक– 4/10/17

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रमुख अधिप्राप्ति।

ज्ञापांकः–02:15:01(अधि0)/2016– 10169 दिनांक– 4/10/17

प्रतिलिपिः–निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रमुख अधिप्राप्ति।

ज्ञापांकः–02:15:01(अधि0)/2016– 10169 दिनांक– 4/10/17

प्रतिलिपिः–सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/10/17

प्रमुख अधिप्राप्ति।